रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 1973/श्रावण 4, 1895

No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 1973/SRAVANA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th July, 1973

SUBJECT.—*Import Policy for the year April,* 1973—*March,* 1974

No. 123-ITC(PN)/73.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red—Book-Vol. I) for the period April, 1973—March, 1974 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
1	2	3
77	Section III, S. No. 87, 109/IV, item No. (8)—Tetracycline base and Tetraocycline hydrochloride.	Release orders in respect of this item for meeting the requirements of actual sers under the policy for registered exporters will be uissued by the licensing authorities on the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. The entries against this item under column (4) may be deemed to have been amended accordingly.

1	2	3
78	Section III, S. No. 87, 109/IV, column 2.	The description of items No. (12) and (29) may be deemed to have been amended to read as under:— "(12) Chloramphenicol powder, Chloramphenicol Palmitate Chloramphenicol Stearate and Chloramphenicol Sodium Succinate. (29) Pyridoxine Hydrochloride".
78	Section III, S. No. 87, 109/IV, item No. (32)—I-Base (Aminodiol).	Release orders in respect of this item will be issued by the licensing authorities. The entries against this item under column (4) may be deemed to have been amended accordingly.
172	Section V, Appendix 19, Paragraph 6—List of canalised items.	The description of items No. (14) and (28) may be deemed to have been amended to read as under:— "(14) Chloramphenicol powder, Chloramphenicol palmitate, Chloramphenicol stearate and Chloramphenicol sodium succinate. (28) Pyradoxine hydrohloride".
176	Section V, Appendix 19, List I, item No. 200, Pyridoxine Hydrochloride	This item may be deemed to have been deleted.
177	Section V, Appendix 19, List II, item No. 71, Normal Human Serum Albumin-Normal Immuno-Globulin Serum (Gamma Globulin).	The description of this item may be amended to read as under:— "Normal Humn Serum Albumin and Normal Immunoglobulin Serum (Human Gamma Globulin)".
178	Section V, Appendix 19, List III, item No. 29	The description of this item may be read as under:— "Vitamin K. (Menadione, Menadione Sodium bisulphite and Acetomenaphthone).
206.	Section V, Appendix 28, Paragraph 7.	The existing paragraph 7 may be deemed to have been substituted by the following:— "7. Licences granted for gases to actual users in terms of the policy indicated in this Appendix will be endorsed for import of gas cylinders to the required extent on production of an undertaking that the empty cylinders will be returned to the suppliers. Such licences endorsed for import of gas cylinders will be subject to the condition that no remittance will be allowed towards the cost of gas cylinders. Gas cylinders filled with gas which are imported on outright sale basis will be classified under S. No. 65/V and the applications from actual users for import of such gas cylinders will be considered in terms of the policy followed for capital goods".
327	Section V, Appendix 70, Annexure I of Proforma, S. No. 4, line 1.	The following words may be deemed to have been inserted between the words 'value' and 'of'. "and quantity".
344	Section V, Appendix 74, S. No. 87, 109/IV, column 2, item No. 10.	*For* the existing description "Chloramphenicol succinate". *Read* "Chloramphenicol sodium succinate".
345	Section V, Appendix 74, S. No. 87, 109/IV, column 2, item No. 41.	The description of this item may be read as under:— "Vitamin K. (Menadione, Menadione sodium bisulphite and Acetomenaphthone."

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, जुलाई, 1973

विषय : अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं 123-आई० टी० सी० (पीएन)/73.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1973-मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में तथा निहित आयात नीति की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेड बुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
77	खण्ड 3, क्र० सं० 87,109/4, मद संख्या (8)—टेट्रासाइक्लिन बेस तथा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ।	पंजीकृत निर्यातकों के लिए नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मद के सम्बन्ध में रिहाई आदेश लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा भारतीय भेषज और भषजीय लि० को जारी किए जाएंगे । कालम (4) के अन्तर्गत इस मद के सामने की प्रविष्टि को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।
78	खण्ड 3, क्रम संख्या 87,109/4, कालम 21	मद संख्या : (12) और (29) के विवरण को संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :— "(12) क्लोराएम्फेनिकाल पाउडर, क्लोराएम्फेनिकाल पाल्मीटेट, क्लोराएम्फेनिकाल स्टीयरेट तथा क्लोराएम्फेनिकाल सोडियम सक्सीनेट । (29) पिरिडाक्सिन हाइड्रोक्लोराइड ।"
78	खण्ड 3, क्रम संख्या 87, 109/4, मद संख्या (32)—एल-बेस (एमिनोडियल)	इस मद के सम्बन्ध में रिहाई आदेश लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे । कालम (4) के अन्तर्गत इस मद के सामने की प्रविष्टियों को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

1	2	3
172	खण्ड 4, परिशिष्ट 19, पारा 6, सारणीबद्ध मदों की सूची ।	मद संख्या (14) और (28) के विवरण को संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :— "(14) क्लोरोएम्फेनिकाल पाउडर, क्लोराएम्फेनिकाल पाल्मीटेट, क्लोराएम्फेनिकाल स्टीयरेट तथा क्लोराएम्फेनिकाल सोडियम सक्सीनेट । (28) पिग्डाक्मिन हाइड्रोक्लोराइड ।"
176	खण्ड 5, परिशिष्ट–19, सूची–7, मद संख्या 200 पिग्डाकिमन हाइड्रोक्लोराइड ।	इस मद को हटाया गया समझा जाए ।
177	खण्ड 5, परिशिष्ट 19, सूची–2, मद संख्या 71–सामान्य मानव की सीरम एल्ब्यूमिन—सामान्य इम्मुनोग्लोबुलिन सीरम (गामा ग्लोबिलिन) ।	इस मद के विवरण को संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :— "सामान्य मानव की सीरम एल्ब्यूमिन तथा सामान्य इम्मुनोग्लोबुलिन सीरम (मानव गामा ग्लोबिलिन) ।"
178	खण्ड 5, परिशिष्ट 19, सूची-3, मद संख्या 29 ।	इस मद के विवरण को निम्नप्रकार से पढ़ा जाए :— "विटामिन के० (मेनाडायोन, मेनाडायोन सोडियम बाइसल्फाट तथा एसेटोमेनाएफथोन) ।"
206	खण्ड 5, परिशिष्ट 28, पारा 7 ।	वर्तमान पारा 7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "7. इस परिशिष्ट में संकेतित शर्तों के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं को गैस के लिए प्रदान किए गए लाइसेंस को अपेक्षित सीमा तक गैस सिलिंडर के आयात के लिए पृष्टांकित किया जाएगा जब कि इस सम्बन्ध में एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि खाली सिलिंडरों को संभरकों को लौटा दिया जाएगा । ऐसे लाइसेंस गैस सिलिंडरों के आयात के लिए इस शर्त के अधीन पृष्ठांकित किए जाएंगे कि गैस सिलिंडरों के खर्च के लिए किसी प्रकार के प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी । ऐसे गैस सिलिंडर जो गैस से भरे हुए हैं और

1	2	3
		जो तत्क्षण बिक्री के आधार पर आयात किए जाते हैं, वे क्रम संख्या 65/5 के अन्तर्गत वर्गीकृत होंगे और वास्तविक उपयोक्ताओं की तरफ से ऐसे गैस सिलिंडरों के लिए दिए जाने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार पूंजीगत माल के लिए लागू होने वाली नीति के अनुसार किया जाएगा ।
327	खण्ड 5, परिशिष्ट 70, प्रपत्र का अनुबन्ध 1, क्रम संख्या 4 पंक्ति 1 ।	निम्नलिखित शब्दों को शब्द 'मूल्य" और "का" के बीच में शामिल किया गया समझा जाए :— "और मात्रा "
344	खण्ड 5, परिशिष्ट 74, क्रम संख्या 87,109/4, कालम 2, मद संख्या 10 ।	वर्तमान विवरण "क्लोराएम्फेनिकाल सक्सिनेट" के लिए "क्लोराएम्फेनिकाल सोडियम सक्सीनेट पढ़ें" ।
345	खण्ड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 87,109/4, कालम 2, मद सं० 41 ।	इस मद के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :— "विटामिन के० (मेनाडायोन, मेनाडायोन सोडियम बाइ-सल्फेट तथा एसेटोमेन-एफथोन) ।"

एम० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973